NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

Date : 23.6.2022

सूचना

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल व आगरा मंडल में 01.01.2004 व उसके बाद नियुक्त कर्मचारी, जिनकी चयन प्रक्रिया 01.01.2004 के पूर्व पूरी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणो से उनकी नियुक्ति विलम्ब से 01.01.2004 के बाद हुई थी, एसे लगभग 200–250 कर्मचारियों को NCRES ने National Pension System (NPS) से Railway Service (Pension) Rule 1993 में परिवर्तित करने के लिये आदेश कराया ताकि उन्हे पुरानी पेन्सन स्कीम (OPS) का लाभ मिल सके।

NCRES को पुनः झांसी मंडल में कार्यरत लगभग 30 कर्मचारी, जिन्होने प्रशासनिक विलम्ब के कारण 01.01.2004 के बाद ज्वाइन किया था, का प्रार्थना पत्र NPS से रेलवे सर्विस (पेन्सन) रूल 1993 में परिवर्तित कराने के लिये प्राप्त हुआ है।

आप सभी को सूचित किया जाता है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत कर्मचारी जिनके चयन की प्रकिया 01.01.2004 के पूर्व पूरी हो चुकी थी लेकिन उनकी नियुक्ति प्रशासनिक कारणो से 01.01.2004 व उसके बाद हुई है, और वे अपने को NPS से Railway Service (Pension) Rule 1993 में परिवर्तित करके पुरानी पेन्सन स्कीम (OPS) का लाभ पाना चाहते है, वे अपना सम्पूर्ण विवरण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) के सेन्ट्रल कार्यालय 464/AB, नवाब यूसुफ रोड़, प्रयागराज पर या NCRES के ईमेल rpsinghncr@gmail.com पर भेज दें ताकि अन्य के समान उन्हें भी OPS का लाभ मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री